

AA914  
3/9/14

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**  
(MISCELLANEOUS JURISDICTION CASES)

**M.J.C. No. /2014**

Nityanand Bhagat ----- Petitioner

Versus

The State of Bihar & Others ----- Opposite Parties

Sub: **CONTEMPT APPLICATION**

**INDEX**

<b><u>Sl.</u></b>	<b><u>Particulars</u></b>	<b><u>Pg.</u></b>
1.	Contempt application with affidavit.....	1-11
2. Annexure-1	Photo copy of the certified copy of the order dt. 06.01.12 passed in CWJC No. 2131/08..	12- 15
3. Annexure-2	Photo/typed copy of the representation dt. 12.03.12	16- 21
4. Annexure-3	Photo/typed copies of representations dt. 01.11.12, 04.01.13 and 27.02.14	22- 33

GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
PATNA SCORE PATNA



STAMP DUTY

00000

बिहार  
JUDICIAL

COURT FEE



Rs. 0000055

-2.9.2014

Authorization No. 2673

375455

BIHAR

INDIA

\*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*Five\*Five\*\*

7451 5127500

## IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(MISCELLANEOUS JURISDICTION CASES)

**M.J.C. No.**

**/2014**

In the matter of an  
application under Article  
215 of the Constitution  
of India read with section  
12 of the Contempt of  
Courts Act, and,

In the matter of:-

Nityanand Bhagat, son of Late Parmeshwar Bhagat, resident  
of village- Kashnagar, P.S.- Sonbarsha Raj and District-  
Saharsa

----- Petitioner

versus

1. The State of Bihar through the District Programme Officer (Establishment), Madhepura-cum-Secretary, District Education Establishment Committee, Madhepura.
2. Stalin Hansda, name of father not known to petitioner, Chairman, District Education Establishment Committee-cum- District Education Officer, District- Madhepura.
3. Vinayak Pandey, name of father not known to petitioner, Secretary, District Education Establishment Committee-cum-District Programme Officer (Establishment), District- Madhepura.
4. Surendra Prasad, name of father not known to petitioner, Member, District Education Establishment Committee-cum-Programme Officer, District- Madhepura.

----- Opposite Parties

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble contempt petition on behalf of the petitioner above named:

**Most respectfully sheweth:**

1. That this contempt application is being filed for initiating a contempt proceeding against the contemnor-opposite parties for willful and deliberate violation of the judgment and order dt. 06.01.2012 passed in CWJC No. 2131/2008 by Hon'ble Mr. Justice Mihir Kumar Jha.

Photo copy of the certified copy of the order dt. 06.01.12 passed in CWJC No. 2131/08 is annexed to this application and marked as Annexure-1.

2. That the petitioner filed CWJC No. 2131/2008 for setting aside part of office order issued under the signature of the District Superintendent of Education, Madhepura contained in memo no. 652 Madhepura dt. 19.08.2006 wherein it was held that the petitioner had remained absent without information from May 1998 to 24.12.1998 and as such the said period would be considered as period without pay and no arrears of salary for the said period

would be given to the petitioner; for directing the respondent authorities to pay to the petitioner the arrears of salary for the period from 01.05.98 to 24.12.98; to pay annual increment to the petitioner for the period from 01.05.2001 to 31.12.2001, for interest and for other reliefs.

3. That the aforesaid writ application was disposed of by order dt. 06.01.12 (Annexure-1) with a direction to the District Programme Officer (Establishment); Madhepura to reconsider the whole issue with regard to payment of salary to the petitioner for the period 01.05.98 to 24.12.98. Thereafter he was to place the petitioner's representation before the District Education Establishment Committee for an appropriate decision with regard to payment of salary. The Hon'ble Court ordered that the

exercise must be completed by all concerned within six months.

4. That the petitioner filed his representation dt. 12.03.12 alongwith a copy of the order dt. 06.01.12 of the Hon'ble Court and the same was received by the District Programme Officer (Establishment), Madhepura on 12.03.12.

Photo/typed copy of the representation dt. 12.03.12 is annexed to this application and marked as Annexure-2.

5. That as directed from time to time the petitioner appeared before the District Programme Officer (Establishment),

Madhepura and submitted his representations etc. on different dates i.e. on 01.11.12, 04.01.13 and 27.02.14.

Photo/typed copies of representations dt. 01.11.12, 04.01.13 and 27.02.14 are annexed to this application and marked as Annexure-3 series.

6. That inspite of the order dt. 06.01.12 of this Hon'ble Court directing the opposite parties to complete the exercise within a period of six months and copy of the order alongwith the petitioner's representation having been received by the District Programme Officer (Establishment), Madhepura as far back as on 12.03.12,



still the opposite parties have not complied with the order of the Hon'ble Court and the directions contained therein.

7. That the opposite parties by not complying with the directions of the Hon'ble Court as contained in order dt. 06.01.12 have deliberately forced the petitioner to file the present application, thus causing undue harassment to the petitioner and wasting the time of this Hon'ble Court.
8. That the opposite parties by not complying with the order dt. 06.01.12 (Annexure-1 of this Hon'ble Court) have deliberately committed contempt of this Hon'ble Court and as a result need to be punished accordingly.
9. That the petitioner has no other remedy other than to bring to the notice of this Hon'ble Court the contemptuous action already taken by the contemnor-opposite parties.

10. That no petition like the present one has been filed by the petitioner earlier before this Hon'ble Court.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue notice to the opposite parties and after consideration of the cause, if any, shown by the contemnor-opposite parties be further pleased to initiate contempt proceeding against them and to punish them suitably for

violating the judgment  
and order of this Hon'ble  
Court as contained in  
Annexure-1 to this  
application

and/or

pass such other order or  
orders as your Lordships  
may deem fit and proper  
in the facts and  
circumstances of the  
case

And for this the petitioner shall ever pray.

**AFFIDAVIT**

I Nityanand Bhagat, aged about 71 years, son of Late Parmeshwar Bhagat, resident of village- Kashnagar, P.S.- Sonbarsha Raj and District- Saharsa, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am the petitioner in the instant case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood. The statements made herein are true to the best of my knowledge and belief.
3. That the annexures are the photo/true copies of their respective originals.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
Civil Writ Jurisdiction Case No.2131 of 2008

Nityanand Bhagat, son of Late Parmeshwar Bhagat, resident of Village Kashnagar, P.S. Sonbarsha Raj, Dist. Saharsa.

----- Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna.
2. Deputy Development Commissioner, Madhepura.
3. District Superintendent of Education, Madhepura.
4. Block Education Extension Officer, Alamganj, Dist. Madhepura.

----- Respondents

4            06.01.2012

Having heard learned counsel for the parties as with regard to the solitary dispute involved in this writ application, namely, payment of salary of the petitioner for the period 1.5.1998 to 24.12.1998, this Court is of the view that the issue in question should be decided by the District Programme Officer (Establishment), Madhepura after affording an opportunity of hearing to the petitioner inasmuch as earlier on 5.12.2001, the District Superintendent of Education, Madhepura the predecessor in office of District Programme Officer (Establishment) had passed an order for payment of salary of the petitioner for the period May, 1998 to December, 1999 purportedly by way of compliance of an order of this Court dated 24.7.2001 in CWJC No. 9288 of 2001 but, later on, the successor in

COPY

PRO  
15/1/12  
BIHAR  
20 01

the office of the post of District Superintendent of Education, Madhepura on 19.8.2006 has passed an order wherein the payment of salary for the period from 1.5.1998 to 24.12.1998 has been denied on the ground that the petitioner was unauthorizedly absent from duty in the said period.

In the opinion of this Court learned counsel for the petitioner has rightly submitted that both the orders of the District superintendent of Education cannot be correct, inasmuch as, if a decision had already been taken on 5.12.2001 for payment of salary for the same period, that could not have been reviewed by the successor District Superintendent of Education, Madhepura in the subsequent impugned order dated 19.8.2006. Counsel for the petitioner, in fact, is also justified in pointing out that such order dated 19.8.2006, having been passed without affording an opportunity of hearing, would be in teeth of the principle of natural justice.

Considering all these aspects, this Court would direct the District Programme Officer (Establishment), Madhepura to reconsider the whole issue as with regard to

14

payment of salary to the petitioner for the period 1.5.1998 to 24.12.1998.

In order to expedite the matter, this Court would give liberty to the petitioner to file a self-contained representation as also enclose the evidence of his working in the aforesaid period from 1.5.1998 to 24.12.1998; whereafter, the District Programme Officer (Establishment), Madhepura shall examine the same and place it before the District Education Establishment Committee, the Appointing Authority of the petitioner, for an appropriate decision as with regard to payment of salary for the aforesaid period.

Let it be made clear that this Court has expressed no opinion on the merit of the claim of the petitioner and has simply remitted the matter to the competent Authority for an appropriate decision in accordance with law.

This exercise, however, must be completed by all concerned within a period of six months from the date of receipt/production of a copy of this order.

It goes without saying that If the

LS

petitioner is found entitled for payment of salary for the aforesaid period or part thereof, its actual payment also must be made to the petitioner within a period of one month from the date of passing of such order. In the event of refusal of such payment, the reasons for the same must be communicated to the petitioner within the aforesaid period of six months.

With the aforementioned observations and direction, this application is disposed of.

Sd/- (Mihir Kumar Jha, J.)

Rsh

COPYING IN PROGRESS

IDENTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY

*Md An Prasad*

For Joint Registrar (J) 04/2/2012  
Patna High Court

Authorized U/S 76 Act I of 1973

Rakesh Kumar  
*Ty*

4/2/2012

92/99/9V33



स्वीकार

श्रीमान् बिला, विद्यालय अधीक्षक महाशय,  
मुख्यालय: मधौपुरा (बिहार)

विषय: माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश  
दिनांक: 06.01.2012 ई० के आदेश निर्गत  
तिथि: 04.02.2012 ई० के आदेश में  
मेरे जुगतान विरोधी आदेशों की शीघ्रता से  
दिनांक: 01.05.1998 से 24.12.1998 ई० तक  
अनुरोध आवेदन।

महाशय!

स्वयंसेवा निवेदन है कि -

मैं निम्नानुक्त भगत, पिता: स्व० परमेश्वर भगत,  
व्यापक: काशनगर, पुलिस थाना: सैनबर्षी राज, सिलह  
सहबसा (बिहार) महाविद्यालय, विष्णुपट्टी, प्रखंड:  
आलमनगर (मधौपुरा) का एक भूतपूर्व सेवानिवृत्त  
अध्यापक श्रीमान का महाशय के द्वारा निम्नलिखित  
कारणों से अज्ञात कर रहा हूँ -

1. यह कि मैं जे. एन. निवृत्ति की अज्ञानता से ही मैं  
सरकारी सेवानिवृत्त के तब जुगतान में शीघ्रता से  
दिनांक: 01.05.1998 ई० से दिनांक: 24.12.  
1998 ई० तक 91 जुगतान बकाया रह गया है।
2. यह कि उपरोक्त संदर्भ में मैंने वास्तविक वी.सू.के  
व्यापक से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अर्पित  
द्वारा कर गुठर लगाया था, जिस आदेश की  
व्यवस्था इस अनुरोध आवेदन के साथ संलग्न  
की जाती है।
3. यह कि उपरोक्त आदेश दिनांक: 06.01.2012  
ई० को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया  
गया है, जिसके कार्यान्वयन की स्वयंसेवा  
दिनांक: 04.02.2012 ई० को प्राप्त हुआ है।  
और फिर मैंने अवस्था देख के कारण स्वास्थ्य-  
परिचर्या कागज़ों को अर्पित वी.सू.के आदेश  
भी रखा। जिसके अंतर्गत श्रीमान की सेवा में आज  
उपस्थित होकर वास्तविक वस्तुस्थिति की जानकारी  
इस अनुरोध आवेदन के माध्यम से दी जा-  
रही है।

P.T.O.

~:~:~  
 आर: श्री मान री प्राथमिक विद्यालय - इल -  
 आवेदन में वर्णित बच्चों का सद्य:नगर प्रत्ये  
 हरे में उपरोक्त तिथि: 01.05.1998 ई० से तिथि:  
 24.12.1998 ई० तक ब्रह्मचर्य शिबिर राशि के अन्त  
 ही लगाने करने का आदेश देने की सुझावों आपमें  
 श्रीमान का सहा आधारी रहूँगा।

दिनांक: 12.03.2012 ई०

प्रार्थी

नियानन्द मंगल  
 { निधान नन्द मंगल  
 भूतपूर्व शिक्षा निपुण  
 प्रधानाध्यापक  
 मध्यम विद्यालय, निरंदा  
 प्रकंड, जिला मन्सा  
 जिला: मन्सापुरा  
 (बिहार)

- अनुलग्नक:
1. माननीय उच्च व्याख्याता, पूजा के आदेश दिनांक: 06.01.2012 ई० की धाराप्रती।
  2. जिला शिक्षा अधिकारी, मन्सापुरा द्वारा शिक्षक जगदीश प्रसाद की सहाय्यता की धाराप्रती।
  3. स्वास्थ्य परिषदा के कुलपति सम्पत्ती कागजातों की धारा सहाय्यता।

श्री ११ अखण्ड सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक श्री निष्ठा-  
-नन्द कर्मा मध्यविद्यालय, बिसपट्टी, सरका: आणम-  
-नगर, जिला: मधेपुरा (बिहार) से आवेदन दिनांक  
12.03.2012 ई ११ मासिकीका ।

का.प्र.सं. पदोन्नति  
श.प.ग.  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मधेपुरा।  
दि. 12/3/12

deleng Asistant  
र.ग.का.प्र 9334701341

3

19

सेवा में,

श्रीमान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थपना महोदय, मुख्यालय  
मधेपुरा (बिहार)।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश दिनांक 06.01.2012 ई0  
के आदेश का निर्गत तिथि 04.02.2012 ई0 के आलोक में मेरे  
भुगतान किये जाने वाली शेष राशि दिनांक 01.05.1998 से 24.  
12.1998 ई0 हेतु अनुरोध आवेदन।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं नित्यानंद भगत, पिता:- स्व0 परमेश्वर  
भगत, साकिन: काशनगर, पुलिसथाना: सोनबर्सा राज जिला सहरसा (बिहार) मध्य  
विद्यालय, बिसपट्टी प्रखंड आलमनगर (मधेपुरा) का एक भूतपूर्व सेवानिवृत्त  
प्रधानाध्यापक श्रीमान का महत्वपूर्ण ध्यान निम्न तथ्यों की ओर आकर्षित कर रहा  
हूँ।

1. यह कि मेरे सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मेरे सरकारी सेवान्त वेतन  
भुगतान में शेष राशि दिनांक 01.05.1998 ई0 से दिनांक 24.1.1998 ई0  
तक का भुगतान बकाया रह गया है।
2. यह कि उपरोक्त, संदर्भ में मैंने वास्तविक वो समुचित न्याय हेतु माननीय  
उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर कर गुहार लगाया था, जिस  
आदेश की छाया प्रति इस अनुरोध आवेदन के साथ संलग्न की जाती है।
3. यह कि उपरोक्त आदेश दिनांक 06.01.2012 ई0 को माननीय न्यायालय  
द्वारा पारित किया गया है। जिसके बाजाप्ता नकल की सच्ची प्रति मुझे  
दिनांक 04.02.2012 ई0 को प्राप्त हुआ है। और फिर मेरे अवस्था दोष के  
कारण स्वास्थ्य परिचर्या गंभीर हो गई है वो होली का अवकाश भी रहा।  
जिस लेकर श्रीमान् की सेवा में आज उपस्थित होकर वास्तविक वस्तु  
स्थिति की जानकारी इस अनुरोध आवेदन के माध्यम से दी जा रही है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि इस आवेदन में वर्णित तथ्यों को मध्येनजर रखते हुए मेरे उपरोक्त तिथि 01.05.1998 ई० से दिनांक 24.12.1998 ई० तक बकाये शेष वेतन राशि को अन्य को भुगतान करने का आदेश देने की कृपा की जाय। मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

प्रार्थी

ह०/—नित्यानंद भगत

दिनांक 12.03.2012 ई०

नित्यानंद भगत

भूतपूर्व सेवानिवृत्त

प्रधानाध्यापक

मध्य विद्यालय बिसपट्टी

प्रखंड—आलमनगर

जिला—मधेपुरा

(बिहार)।

अनुलग्नकें:—1 माननीय उच्च न्यायलय,

पटना के आदेश दिनांक 06.01.2012

ई० की छायाप्रति।

2. जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा

द्वारा शिक्षक उपस्थिति पंजी के

प्राप्ती रसीद की छायाप्रति।

3. स्वास्थ्य परिचर्या के ईलाज सम्बन्धी

कागजातों की छाया प्रतियाँ।

21

मैनें भूतपूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, श्री नित्यानंद भगत, मध्य विद्यालय, बिसपट्टी  
प्रखंड आलमनगर जिला-मधेपुरा (बिहार) से आवेदन दिनांक 12.03.2012 ई0 का  
प्राप्त किया।

ह0/-अस्पष्ट

कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना जिला

मधेपुरा।

सेवा में,

Sharma-7 22

श्री मान् विद्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी  
स्थापना, मधेपुरा

स्कूल प्रति पाया महाशय,

1-11-12  
जिला शिक्षा 14 सितम्बर 2012 के आलोक में सूचित करना है कि मेरे मामले का निर्णय पदाधिकारी की बुनवाई 24 सितम्बर 2012 को निर्धारित की गई थी जो कि मधेपुरा स्थापना के देर से प्राप्त हुआ और मैं इच्छा रोग से पीड़ित रहता हूँ। इसलिए मैं समय पर आगे से लाचार रहा। मैं आज दिनांक 1. 11. 2012 को कार्यालय में उपस्थित होकर आपके पत्रांक 1970 दिनांक 14 सितम्बर 2012 के संबंध में सूचित कर रहा हूँ।

वहाँ तक आपके द्वारा भुँद गये साक्ष्य एवं अभिलेख का विक्र किया गया है, वह आपके कार्यालय में जमा शिक्षक उपस्थिति पंजी। जनवरी 1998 से 25-11-98 तक साक्ष्य एवं अभिलेख के रूप में मौजूद है। जिसकी प्रतः प्राप्त रखी की क्षया प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मैं इसकी सूचना श्री मान् की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

अनुलग्नक:-

संशोधन मध्य विद्यालय युवावनी अंचल उदाकिश्रुनगंज शिक्षक (मधेपुरा) के प्रधानाध्यापक से दिनांक 1 जनवरी 1958 से माह नवम्बर 25-11-58 तक शिक्षक उपस्थित पंजी की क्षया प्रति।

निवेदक  
निरंजन नन्द मंगल  
अत पूर्व सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक  
मध्य विद्यालय, विखपट्टी  
अंचल - आलमनगर  
जिला - मधेपुरा

दिनांक - 1. 11. 2012.

राजा लोचनदास मरवा विद्यालय (सुल्तान) कापल उदोकिपुर  
 राजा (विद्यालय) मरवा के प्रशासक से दिनांक -  
 1 जनवरी 1998 के ~~दिनांक~~ से यह नमबर 25-11-98  
 का <sup>अध्याय</sup> अर्थ - पायी

25/11/98

मिटर बिदा कापीयक से



24

सेवा में,

श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, मधेपुरा

महाशय,

सेवा में निवेदन है कि आपके पत्रांक 1970 दिनांक 14 सितम्बर 2012 के आलोक में सूचित करना है कि मेरे मामले की सुनवाई 24 सितम्बर 2012 को निर्धारित की गई थी जो कि मुझे देर से प्राप्त हुआ और मैं हृदय रोग से पीड़ित रहा है। इसलिए मैं समय पर आने से लाचार रहा। मैं आज दिनांक 1.1.2012 को कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रांक 1970 दिनांक 14 सितम्बर 2012 के संबंध में सूचित कर रहा हूँ।

जहाँ तक आपके द्वारा पुछे गए साक्ष्य एवं अभिलेख का जिक्र किया गया है, वह आपके कार्यालय में जमा शिक्षक उपस्थिति पंजी। जनवरी 1998 से 25.11.98 तक साक्ष्य एवं अभिलेख के रूप में मौजूद है। जिसकी पत्र प्राप्ति रसीद की छायाप्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मैं इसकी सूचना श्रीमान् की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

अनुलग्नक:-

स्त्रोनत मध्य विद्यालय सुखासनी अंचल उदाकिशुनगंज शिक्षक (मधेपुरा) के प्रधानाध्यापक से दिनांक 1 जनवरी 1958 से माह नवम्बर 25.11.58 तक शिक्षक उपस्थित पंजी की छायाप्रति।

निवेदक

ह0/-नित्यानंद भगत  
भूतपूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक  
मध्य विद्यालय, बिसपट्टी  
अंचल-आलमनगर  
जिला-मधेपुरा

दिनांक 1.11.2012

एक प्रति पाया

ह0/-अस्पष्ट

जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना

मधेपुरा।

25

मैंने स्त्रोनत मध्य विद्यालय सुखासनी अंचल उदाकिशुनगंज पश्चिम (मधेपुरा) के  
प्रधनाध्यापक से दिनांक 1 जनवरी 1998 से माह नवम्बर 25.11.98 तक शिक्षक  
उपस्थित पंजी पायी।

ह0/-

25/x/98

जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा।

स्वा. म.  
श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

26

स्थापना, मधेपुरा

मधेपुरा

एक प्रति जाभा

जिला कार्यक्रम

पदाधिकारी

स्थापना (मधेपुरा)

सेवा में निवेदन है कि आपके फॉक 2504 दिनांक 21-12-2012 के आलोक में सुनिश्चित करना है कि मेरे मामले की सुनवाई 24 दिसम्बर 2012 को निर्धारित की गयी थी। वह पत्र मुझे 24 दिसम्बर 2012 के बाद ही देई है मुझे प्राप्त हुआ। मैं इत्य रोग के पीड़ित रहा जिसके कारण निर्धारित तिथि को समय पर आने में बाधा रह्य।

इस संबंध में मैंने 01-11-2012 को श्रीमान् के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य एवं अभिलेख का जिक्र करते हुए सुनवाई किया। बावजूद इसके मुझे खेद है कि श्रीमान् के द्वारा इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं हुई। पुनः मैं आपके उपर्युक्त फॉक 2504 दिनांक-21-12-2012 के आलोक में आज दिनांक-04-01-2013 को निर्धारित समय पर पुष्पकर सुनिश्चित कर रहा हूँ कि श्रीमान् के कार्यालय में शिक्षक उपस्थिति पेंजी जो 01 जनवरी 1998 से 25-11-1998 तक चला है एवं मेरे द्वारा जमा किया गया है वही पेंजी साक्ष्य एवं अभिलेख के रूप में श्रीमान् के कार्यालय में मौजूद है जिसकी प्राप्ति एसी के द्वारा प्रति इस निवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मैं उम्मीद करता श्रीमान् की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

निवेदक  
विनया नन्दमन

अनुसूचक खोजत मध्य  
विद्यालय सुखासनी  
अंत्य - उदकिशुन गंज  
पश्चिम (मधेपुरा)

भ्रमपूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक  
मध्य वि० विद्यापीठ  
अंत्य - आरुमनगर  
जिला - मधेपुरा

मा/13

के प्रधानाध्यापक से दिनांक  
01 जनवरी 1998 से माह  
नवम्बर 25-11-1998 तक  
शिक्षक उपस्थित पेंजी की  
द्वारा प्राप्ति।  
दिनांक - 04-01-2013

श्री लोचनदास मरहट्ट सिन्धुनाथ (सुरवाहा) बंगला 320 वि.सं.  
 नगर (प्रिथ्वी नगरेपुर) के प्रबन्धनायक से दिनांक  
 1 मार्च 1978 के तह सँ तह नमबर 25-11-78  
 तह सिद्धि <sup>अर्थात्</sup> पजी-पायी /

25/11/78

निलय सिद्धा नगरीयक से

28

सेवा में,

श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
स्थापना, मधेपुरा

महाशय,

सेवा में निवेदन है कि आपके पत्रांक 2507 दिनांक 21.12.2012 के आलोक में सूचित करना है कि मेरे मामले की सुनवाई 24 सितम्बर 2012 को निर्धारित की गई थी। वह पत्र मुझे 24 सितम्बर 2012 के बाद ही देर से प्राप्त हुआ। मैं हृदय रोग से पीड़ित रहा जिसके कारण निर्धारित तिथि को समय पर आने से लाचार रहा।

इस संबंध में मैंने 01.11.2012 को श्रीमान् के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य एवं अभिलेख का जिक्र करते हुए सूचना दिया। बावजूद इसके मुझे खेद है कि श्रीमान् के द्वारा इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं हुई पुनः मैं आपके उपर्युक्त पत्रांक 2507 दिनांक 21.12.2012 के आलोक में सूचित कर रहा हूँ कि श्रीमान् के कार्यालय में शिक्षा उपस्थिति पंजी जो 01 जनवरी 1998 से 25.11.98 तक चालू है एवं मेरे द्वारा जमा किया गया है वही पंजी साक्ष्य एवं अभिलेख के रूप में श्रीमान् के कार्यालय में मौजूद है जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मैं इसकी सूचना श्रीमान् की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

निवेदक

ह0/-नित्यानंद भगत  
भूतपूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक  
मध्य वि०, बिसपट्टी  
अंचल-आलमनगर  
जिला-मधेपुरा

अनुलग्नक:- स्ट्रोनत मध्य  
विद्यालय सुखासनी  
अंचल उदाकिशुनगंज  
पश्चिम (मधेपुरा)  
के प्रधानाध्यापक से दिनांक  
1 जनवरी 1998 से माह  
नवम्बर 25.11.58 तक  
शिक्षक उपस्थित पंजी की  
छायाप्रति।

दिनांक 1.11.2012

एक प्रति पाया

ह0/-अस्पष्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना  
मधेपुरा।

मैंने स्त्रोनत मध्य विद्यालय सुखासनी अंचल उदाकिशुनगंज (पश्चिम मधेपुरा) के  
प्रधानाध्यापक से दिनांक 1 जनवरी 1998 से माह नवम्बर 25.11.98 तक शिक्षक  
उपस्थिति पंजी पायी।

ह0/-

25/x1/98

जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा।

सवा म,

श्रीमान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
स्थापना मधेपुरा.

30

महाशय !

सेवा में निवेदन है कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना, के आदेश तिथि 6.1.2012 ई० के आदेश निर्गत तिथि 4.2.2012 के आलोक में मेरे सुगतान किये जाने वाली - शेष राशि दिनांक 1.5.1998 से 24.12.98 तक की वकाये राशि रह गयी है।

इस सम्बन्ध में मैंने श्रीमान की सेवा में दिनांक 12.3.2012 एवं दिनांक 1.11.2012 एवं दिनांक 4.1.2013 के निर्धारित समय पर साक्ष्य एवं अभिलेख का जिक्र करते हुए सूचना दिया। वावजूद इसके मुझे खेद है कि श्रीमान के द्वारा इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं हुई।

27/02/14

इस सम्बन्ध में पुनः मैं आज दिनांक: 27-02-2014 को साक्ष्य के रूप में तत्कालिक जिला शिक्षा अधिकारी श्री राज कुमार सिंह द्वारा पत्रांक - 1745-5 दिनांक 5 दिसम्बर 2001 में सुगतान का स्पष्ट आदेश है। जिस आदेश की छाया-प्रति इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न है।

अतः सुगतान हेतु इसकी सूचना श्रीमान की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

दिनांक:- 27-02-2014

निवेदक:-

बि. एन. नन्द झा

सेवा निवृत्त प्रधानाध्यपक  
मध्य विद्यालय विसपली  
अंचल - आलमनगर  
जिला - मधेपुरा ।

31

सेवा में,

श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, मधेपुरा

महाशय,

सेवा में निवेदन है कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश तिथि 6.1.2012 ई० के आदेश निर्गत तिथि 4.2.2012 के आलोक में मेरे भुगतान किये जाने वाली शेष राशि दिनांक 1.5.1998 से 24.12.98 तक की बकाये राशि रह गयी है।

इस सम्बन्ध में मैंने श्रीमान् की सेवा में दिनांक 12.03.2012 एवं दिनांक 1.11.2012 एवं दिनांक 4.1.2013 को निर्धारित समय पर साक्ष्य एवं अभिलेख का जिक्र करते हुए सूचना दिया। बावजूद इसके मुझे खेद है कि श्रीमान् के द्वारा इस दिशा में कोई सूनवाई नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में पुनः मैं आज दिनांक 27.02.2014 को साक्ष्य के रूप में तत्कालिक जिला शिक्षाचिक्षक श्री राज किशोर सिंह द्वारा पत्रांक 1745-5 दिनांक 5 सितम्बर 2001 में भुगतान का स्पष्ट आदेश है। जिस आदेश की छायाप्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मैं भुगतान हेतु इसकी सूचना श्रीमान् की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।

निवेदक

ह०/-नित्यानंद भगत

भूतपूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक

मध्य विद्यालय, बिसपट्टी

अंचल-आलमनगर

जिला-मधेपुरा

दिनांक 27.02.2014



कार्यालय, जिला विद्या अधीन, मधेपुरा ।

कार्यालय-अदालत  
\*\*\*\*\*

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शाब्दिक संख्या- सा.क.सु.के.सा. संख्या- 9288/2001 में दिनांक 24-07-2001 को भारत आदेश के अनुपालन में श्री नित्यानन्द भगत, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, विजयपुरी, अंचल-आलमनगर के माह मई, 98 से दिसम्बर, 99 तक का वेतन मुगतान मध्य विद्यालय, हनुमाननगर चौड़ा, अंचल-मधेपुरा पूर्व, जहाँ कर्नाय वेतनमान में प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, से करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सम्यक्ति वसंमान में उक्त अंशय प्रमाणित वेतन हेतु आवंटन इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । इसके लिए निर्देश प्राथमिक विद्यालय विहार से पत्राचार किया जा रहा है । आवंटन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर श्री भगत को आवंटन प्रदान की जायेगी ।

lll  
जिला विद्या अधीन,  
मधेपुरा ।

संख्या 1745-5 मधेपुरा, दिनांक 3 दिसम्बर, 2001

प्रतीति:- जीवांगर प्रदायितारो, मधेपुरा/प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, हनुमाननगर चौड़ा/विजयपुरी एवं जयन विद्यालय को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतित ।

24/12/2001  
जिला विद्या अधीन,  
मधेपुरा ।

33

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा।  
कार्यालय-आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-सी० डबलू० जे० सी० संख्या-9288/2001 में दिनां 24.07.2001 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री नित्यानन्द भगत. प्रधानाध्यापक. मध्य विद्यालय. बिसपट्टी, अंचल - आलमनगर के माह भई.98 तो दिसम्बर,99 तक का वेतन भुगतान मध्य विद्यालय, हनुमाननगर चौड़ा, अंचल-मधेपुरा पूर्व, जहाँ कनीय वेतनमान् में प्रधानाध्यापक कार्यरत है. तो करने को अनुमित प्रदान की जाती है।

सन्प्रति वर्तमान में उक्त जवाब (बकाये वेतन) हेतु आवंटन इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार से पत्राचार किया जा रहा है। आवंटन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर पत्र भी भगत को आवंटन प्रदान की जायेगी।

ह०/-अस्पष्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 17455/मधेपुरा दिनांक 5 दिसम्बर, 2001

प्रतिलिपि:-काषोगर पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, हनुमाननगर चौड़ा/विवादी एवं वियन लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-अस्पष्ट

4/12/2001

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा।